



न्यायालय प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या-01/2018 आर.टी.आई.

दायर दिनांक- 13.03.2018

निर्णय दिनांक-09.04.2018

श्री कैलाश चन्द्र डाड पिता गोपीलाल डाड, निवासी मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़	बनाम	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
---	------	---

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—: निर्णय :-

श्री कैलाश चन्द्र डाड पिता गोपीलाल डाड, निवासी मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 29.01.2018 को संभागीय आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होने से उसके द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर के पत्र क्रमांक 1625 दिनांक 16.03.2018 से श्री कैलाश चन्द्र डाड द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील का जवाब चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी श्री कैलाश चन्द्र को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति-उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो उपस्थित हो सकते हैं।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 06.04.2018 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी श्री कैलाशचन्द्र डाड द्वारा चाही गयी सूचना उनके कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 2148 दिनांक 06.04.2018 से वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया है।

अपीलार्थी श्री कैलाश चन्द्र डाड ने लिखित प्रतिक्रिया दिनांक 26.03.2018 को प्रस्तुत की है।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब, अपीलार्थी की लिखित प्रतिक्रिया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। वांछित सूचना निर्धारित समयावधि उपरान्त प्रार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर, अगर अपीलार्थी सूचना से असन्तुष्ट हो तो कार्यालय समय में रिकार्ड का अवलोकन करा, नियमानुसार सूचना उपलब्ध करावें। भविष्य में लोक सूचना अधिकारी समय पर सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01- लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

02- श्री कैलाश चन्द्र डाड पिता गोपीलाल डाड, निवासी मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर